

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8618/2026
CNR: RJHC010610242026
URN: CRLMB / 18666U / 2026

Romin Bhai Yakub Bhai S/o Yakub Bhai, Aged About 25 Years, R/o Dabhad, Police Station Khedlu, District Mehsana, Gujrat (Presently Lodged In Phalodi Jail)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kshitij Vyas
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT
Order

21/07/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. (439 सीआर.पी.सी.), पुलिस थाना फलोदी, जिला फलोदी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 136/2024, अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 409, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में मुस्तगीस शैतानसिंह व प्रार्थी-अभियुक्त पक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है। राजीनामा प्रार्थी-अभियुक्त के चाचा कालुभाई छोटु भाई सेख द्वारा मुस्तगीस के साथ किया, जिस बाबत राजीनामा की फोटोप्रति पेश की और असल प्रति अवलोकन हेतु पेश की और यह निवेदन किया कि आपस में रज़ामंदी से प्रार्थी-अभियुक्त के खाते में जो राशि जमा हुई, उसके पेटे कुल एक लाख रुपये प्राप्त कर लिए हैं, अब वह प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इस राजीनामे के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में अनुसंधान पूर्ण होकर नतीजा आने बाद नतीजा विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा केस डायरी का अवलोकन किया। राजीनामे की प्रति व असल राजीनामे का अवलोकन किया। राजीनामे की प्रति शामिल पत्रावली रहे। राजीनामे अनुसार प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से एक लाख रुपये मुस्तगीस पक्ष को समझौते पेटे दे दिए हैं। मुस्तगीस पक्ष अब प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है और जमानत पर भी कोई आपत्ति नहीं होना लिखित में दिया है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **रोमिन भाई याकुब भाई पुत्र याकुब भाई** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J